राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 10/07/2020 को संपन्न 334वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

----00----

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री धीरेन्द्र शर्मा द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई एवं श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुये। समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020 बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण / मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मेड़ेसरा लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्रीमती अल्पा श्रीवास्तव), ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 730)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /28182/2018, दिनांक 11/07/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48549/ 2018, दिनांक 18/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1002/1, 1002/2, 1002/4, 1002/3, 1003/1, 1003/5, 1003/2, 1003/6, 1004, 1005 एवं 1006/2, कुल लीज क्षेत्र 8.20 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन एवं क्रशिंग क्षमता – 1,68,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 259वीं बैठक दिनांक 26/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत मेडेसरा द्वारा दिनांक 22/07/2009 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लान एलांगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दुर्ग/ चूप/ खयो–1170/ नाग/ 2016–42/ रायपुर दिनांक 23/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 1632/खनिज 2016 दुर्ग, दिनांक 24/11/2016 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 04 खदानें रकबा 61.38 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मेडेसरा 1.15 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–मेडेसरा 1.2 कि.मी की दूरी पर स्थित है। शिवनाथ नदी 2.8 कि.मी. दूर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–7/2012/12 दिनांक 14/03/2016 के द्वारा माईनिंग प्लान तैयार कराये जाने एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने के लिए जारी की गई है।

7. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण –** जियोलॉजिकल रिजर्व 5.837 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 1.427 मिलियन टन बताया गया है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। क्रशर का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर होगी। ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लगभग 10 किलो लीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेशन, प्लांटेशन, घरेलू उपयोग) जल की खपत होगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तावित उत्खनन की वर्षवार योजना का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम वर्ष	18,000
द्वितीय वर्ष	22,400
तृतीय वर्ष	26,800
चतुर्थ वर्ष	44,800
पंचम वर्ष	67,200
कुल	**1,79,200**

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –** मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ,

9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।
2. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
7. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. निश्चित समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार हैः–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पडी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।
8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
9. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संयुक्त ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः-

1. समिति द्वारा उपरोक्त परियोजना प्रस्तावको से पूर्व बैठक में पृथक-पृथक जानकारी चाही गई थी। परियोजना प्रस्तावको द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कुछ परियोजना प्रस्तावकों द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं

समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नोट किया गया कि समय अभाव होने के कारण उक्त तिथि में प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी तिथि के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख-रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट-V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट-VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं

89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस-पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

5. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।
6. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़कों का संधारण (Road Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत की जाए।
2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख-रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित प्रति पौधा की राशि बहुत अधिक है। इस हेतु वन विभाग में प्रचलित दरों को लिया जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स रूपरेला ब्रदर्स लाईम स्टोन माईन, ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 694)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /74407/2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48624/ 2018, दिनांक 18/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 154/1(पी), कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–16,732.5 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत ग्राम–पथरिया द्वारा दिनांक 25/09/2003 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 1097 /डीआरजी /एलएसटी /एमपीएलएन /2017 रायपुर दिनांक 27/06/2017 जो वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 186 दिनांक 19/04/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 15 खदानें रकबा 83.98 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सहगांव 0.66 कि.मी., शहर भिलाई 22 कि.मी., प्रायमरी स्कूल ग्राम–सहगांव में 0.66 कि.मी, अस्पताल ग्राम–नंदनी .65 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.24 कि.मी. दूर है। छोटा नाला 80 मीटर एवं शिवनाथ नदी 1 कि.मी.है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** –परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – लीज डीड मेसर्स रूपरेला ब्रदर्स के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों के लिए 06/12/1981 से 05/12/2001 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड दिनांक 06/12/2001 से 05/12/2021 तथा दिनांक 06/12/2021 से 05/12/2031 तक की अवधि हेतु नवीनीकृत है।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 16/01/1982 द्वारा उत्खनन कार्य हेतु भू–प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी। उत्खनन कार्य दिनांक 01/04/1982 को प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में उत्खनन कार्य जून, 2017 से बंद होना प्रतिवेदित किया है।

8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1012, दिनांक 24/10/2018 द्वारा उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 6036, दिनांक 20/09/2018 अनुसार निकटतम वन क्षेत्र नंदिनी–खुंदनी से खदान की दूरी लगभग 3 कि.मी. पर स्थित है। वन क्षेत्र की बाउण्ड्री से लीज सीमा की दूरी लगभग 6 कि.मी. दूर है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,10,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,10,000 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.66 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान एवं अंतिम गहराई 32 मीटर है। अर्थात् वर्तमान में खनन साइड बेंचेस में किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 5 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जल का स्त्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994–1995	4,407	2007–2008	7,750
1995–1996	69,872	2008–2009	4,650
1996–1997	6,711	2009–2010	2,450
1997–1998	1,360	2010–2011	1,689
1998–1999	1,710	2011–2012	10,880
1999–2000	1,560	2012–2013	6,570
2000–2001	820	2013–2014	12,250
2001–2002	1,320	2014–2015	3,650
2002–2003	8,316	2015–2016	460
2003–2004	14,770	2016–2017	1,750
2004–2005	3,819	2017–2018	260
2005–2006	5,015	2018–2019	निरंक
2006–2007	6,950		

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
2017—18	10,230
2018—19	13,250
2019—20	15,100
2020—21	16,700
2021—22	16,732
कुल	**72,012**

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः—** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः—

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः—**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी —** मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू—जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय साव, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जनवरी से मार्च 2016 तक 300 टन, वर्ष 2016–17 में 1,750 टन एवं वर्ष 2017–18 में 260 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत से खदान बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. इन्व्हॉयरोमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

11. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. निश्चित समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बेकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओव्हरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

8. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

12. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय साव, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नोट किया गया कि समय अभाव होने के कारण उक्त तिथि में प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी तिथि के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय साव, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बेकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओव्हरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की गई है। रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन पूर्व से संचालित होने के कारण वर्तमान में उत्खनन प्रक्रिया से ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) जनित नहीं होना बताया गया है। माईनिंग प्लान अनुसार उत्खनन केवल पूर्व से उत्खनित क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।

5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।

7. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़कों का संधारण (Road Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. उक्त खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उपयुक्त पर्यावरण के सुरक्षात्मक उपायों को नहीं अपनाते हुये पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करते हुये उत्खनन किया गया है, जिसके फलस्वरूप मटेरियल उत्खनन, हथालन, परिवहन से वायु प्रदूषण के साथ पर्यावरण पर विपरित प्रभाव की स्थिति निर्मित हुई तथा परिवहन से परिवेशीय वायु में 1.375 माईक्रोग्राम / घनमीटर पीएम$_{10}$ की वृद्धि का योगदान रहा। लीज क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका हेतु निर्धारित 7.5 मीटर के सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण नहीं करने के फलस्वरूप पर्यावरण पर विपरित प्रभाव पड़ा।

11. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्लान में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि उसके परीक्षण उपरांत समिति द्वारा अनुमोदन किया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत किया जाए।
2. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित प्रति पौधा की राशि बहुत अधिक है। इस हेतु वन विभाग में प्रचलित दरों को लिया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर में शामिल उल्लंघन के समस्त खदानों के लिए Environment Compensation के प्रस्ताव को सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) का उपयुक्त आकलन कर, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि के विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री बी. एल. रामानी लाईम स्टोन माईन, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 542)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /61454/2018, दिनांक 31/12/2016 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया

था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48662/ 2016, दिनांक 19/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 420, 421, 422, 438, 439, 440, 441 एवं 459, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.525 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 9,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 241वीं बैठक दिनांक 25/11/2017 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोटरी कराया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र कमांक दुर्ग/ चूप/ खयो–286/नाग/2016/30–रायपुर दिनांक 10/08/2016 (अवधि 2016–17 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र कमांक 596 दिनांक 27/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें रकबा 63.61 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सहगांव 0.83 कि.मी. एवं स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–नंदनी–खुंदनी में स्थित है। राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 1 कि.मी. दूर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री बी.एल. रामानी के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 27/06/1994 से 26/06/2014 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के पत्र कमांक 1263/खनिज /2015 दुर्ग, दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टा अवधि वृद्धि बावत् जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,70,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,72,300 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। भू–भाग के 17,200 वर्गमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 12 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। खदान की संभावित आयु 40 वर्ष है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। क्रशिंग युनिट 2,250 वर्गमीटर क्षेत्र में स्थापित है। क्रशर एवं आंतरिक मार्गों पर

डस्ट सप्रेशन हेतु वाटर स्प्रे किया जाता है। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3 मीटर है। 10 किलोलीटर प्रतिदिन जल की खपत होती है। जल की आपूर्ति ट्यूववेल से की जाती है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। विगत वर्षो के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2005–2006	1,382	2012–2013	260
2006–2007	564	2013–2014	14,180
2007–2008	500	2014–2015	11,684
2008–2009	900	2015–2016	निरंक
2009–2010	280	2016–2017	निरंक
2010–2011	370	2017–2018	निरंक
2011–2012	200	2018–2019	निरंक

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2014–2015	वास्तविक			11,640
2015–2016	वास्तविक			निल
2016–2017	1,200	3.0	3,600	9,000
2017–2018	1,200	3.0	3,600	9,000
2018–2019	1,200	3.0	3,600	9,000

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.एल. रामानी, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015–16 से उत्खनन बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

10. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सडके अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. निश्चित समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

   v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

   vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

   i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

   ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बेकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओव्हरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख-रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

9. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

10. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.एल. रामानी, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नोट किया गया कि समय अभाव होने के कारण उक्त तिथि में प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी तिथि के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.एल. रामानी, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में डम्प कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित बताया गया है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।

4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

5. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।

6. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।

7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़कों का संधारण (Road Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत किया जाए।
2. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित प्रति पौधा की राशि बहुत अधिक है। इस हेतु वन विभाग में प्रचलित दरों को लिया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री भगतराम साहू (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 539)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /61378/2016, दिनांक 28/12/2016 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48677/ 2016, दिनांक 19/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 1892, 1893 एवं 1896, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 0.955 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,100 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 245वीं बैठक दिनांक 18/01/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी का दिनांक 20/10/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र कमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएनएल–431/ नागपुर, दिनांक 16/06/1995 के द्वारा 2.70 एकड़ हेतु अनुमोदित है। मॉडिफिकेशन इन माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र कमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएलडी–431/ एनजीपी–2015 दिनांक 23/03/2016 (वर्ष 2015–16 से 29/10/2018 तक की अवधि हेतु) द्वारा लीज क्षेत्र में कमी अर्थात् 2.36 एकड़ (0.955 हेक्टेयर) हेतु अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र कमांक 1969 दिनांक 30/12/2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 09 खदानें रकबा 30.75 हेक्टेयर स्वीकृत/विद्यमान हैं।

4. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 0.88 कि.मी., स्कूल ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1.5 कि.मी., अस्पताल ग्राम–नंदिनी नगर 3 कि.मी. एवं मंदिर बेरला 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री भगत राम साहू के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 30/10/1998 से 29/10/2018 तक की अवधि हेतु है।

7. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,76,428 टन एवं माईनेबल रिजर्व 19,838 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। आवेदन अनुसार उत्खनन की अधिकतम गहराई 15 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई एवं चौडाई 3 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की गहराई 1.2 मीटर एवं अनुमानित मात्रा 468.91 घनमीटर है। भू–भाग के 6,190 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन होना बताया गया है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 5.5 किलोलीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 1.5 किलोलीटर प्रतिदिन) है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण किया जावेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वृक्षारोपण किया गया है। विगत वर्षो के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)	वित्तीय वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
1999	1,040	2009	निरंक
2000	660	2010	
2001	1,210	2011	
2002	280	2012	
2003	निरंक	2013	6,100
2004		2014	700
2005		2015	निरंक
2006		2016	2,510
2007		2017	940
2008		2018	निरंक

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2015–2016	406.03	2.0	812	2,030
2016–2017	406.24	2.0	812	2,031
2017–2018	408.60	2.0	817	2,043
2018–2019	419.12	2.0	838	2,096
कुल	—	—	**3,280**	**8,200**

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –** मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुक्तानंद, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक 2,510 टन एवं वर्ष 2016–17 में 940 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत से खदान बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
11. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**
    i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाडिया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा

सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. निश्चित समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार हैः–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. पूर्व में समिति की 245वीं बैठक दिनांक 18/01/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य अप्रैल 2014 से बंद है। वर्तमान में अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक 2,510 टन एवं वर्ष 2016–17 में 940 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बेकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओव्हरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

9. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

11. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सडकों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सडकों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिडकाव व्यवस्था, सडकों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

12. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

13. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुक्तानंद, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नोट किया गया कि समय अभाव होने के कारण उक्त तिथि में प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी तिथि के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित

जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री विरेन्द्र चोपड़ा), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 735C)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएन /28526/2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48795/ 2018, दिनांक 26/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1924/2, कुल लीज क्षेत्र 4.80 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता –41,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा दिनांक 24/10/2005 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (छ.ग.) के पत्र ज्ञापन डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएलएन–1109/ नागपुर दिनांक 07/02/2013 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2298 दिनांक 28/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 13 खदानें रकबा 108.48 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 0.4 कि.मी. एवं शहर अहिवारा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1 कि.मी. एवं अस्पताल अहिवारा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शिवनाथ नदी 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री विरेन्द्र चोपड़ा के नाम पर है, जो 30 वर्षों के लिए दिनांक 16/01/2015 से 15/01/2045 तक की अवधि हेतु है।

7. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,41,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,04,000 टन है। उत्खनन सेमी मेकेनाईज्ड ओपन कास्ट विधि से किया जाता है। खदान की वर्तमान गहराई 5 मीटर एवं अधिकतम गहराई 11 मीटर होगी। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमरड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। बेंच की अंतिम (अल्टिमेट) ऊंचाई 3 मीटर एवं चौडाई 3 मीटर होगी। उपरी मिट्टी की गहराई 1.2 मीटर है। जल की मात्रा 10 किलो लीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेशन 04 किलो लीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 03 किलो लीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु किलो लीटर प्रतिदिन) है, जल का स्त्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2015–16	2,569
2016–17	5,520
अप्रैल 2017 से उत्पादन बंद है।	–

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
प्रथम वर्ष	–
द्वितीय वर्ष	27,543
तृतीय वर्ष	32,163
चतुर्थ वर्ष	36,746
पंचम वर्ष	41,062
कुल	**1,37,514**

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार

वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विरेन्द्र चोपड़ा, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक 1,200 टन एवं वर्ष 2016–17 में 5,510 टन उत्खनन किया गया है। अप्रैल 2017 से उत्खनन बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।

4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेडेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
11. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

    ii. निश्चित समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

    iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

    iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

    v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

    vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बडी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि वर्ष 2015–16 में 3,069 टन एवं वर्ष 2016–17 में 5,510 टन उत्खनन किया गया है। वर्तमान में वर्ष 2015–16 में 2,569 टन एवं वर्ष 2016–17 में 5,520 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बेकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओव्हरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

9. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

11. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हीत विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिडकाव व्यवस्था, सडकों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

12. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

13. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं

समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विरेन्द्र चोपड़ा, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नोट किया गया कि समय अभाव होने के कारण उक्त तिथि में प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी तिथि के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स मेड़ेसरा लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री संजय अग्रवाल), ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 735D)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /28527/2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48358/ 2018, दिनांक 13/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, स्थित खसरा क्रमांक 1015 एवं 1016, कुल लीज क्षेत्र 3.97 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,500 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक

25/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैः-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत मेड़ेसरा द्वारा दिनांक 11/04/2002 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – द्वितीय स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के ज्ञापन कमांक / डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएलएन–839/ एनजीपी, दिनांक 22/08/2013 जो वर्ष अवधि 2013–14 से 2017–18 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 602/खनि.लि.2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 05 खदानें रकबा 84.11 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।

4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदिनी–खुंदनी 0.96 कि.मी. एवं शहर धमधा 9.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–नंदिनी–खुंदनी 1.46 कि.मी., अस्पताल ग्राम–नंदिनी–खुंदनी 1.5 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हॉउस लगभग 19.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.92 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.3 कि.मी. दूर है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री संजय अग्रवाल के नाम पर है, जो 30 वर्षों के लिए दिनांक 24/07/2003 से 23/07/2033 तक की अवधि हेतु है।

7. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,20,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व कुल 7,74,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.6 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 20 मीटर प्रस्तावित है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 10 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 6,450 घनमीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। बेंच की अल्टीमेट चौड़ाई 3 मीटर एवं ऊंचाई 3 मीटर होगी। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमर ड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 31 वर्ष है। जल उपभोग की मात्रा 7 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 3 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्त्रोत भू–जल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2003–2004	1216	2011–2012	16,276
2004–2005	14,966	2012–2013	16,900

2005–2006	10,661	2013–2014	20,467
2006–2007	9,001	2014–2015	21,665
2007–2008	12,692	2015–2016	23,420
2008–2009	8,135	2016–2017	19,210
2009–2010	16,276	2017–2018	750
2010–2011	16,766	2018–2019	निरंक

उत्खनन की वर्षवार योजना
(द्वितीय स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान अनुसार)

वर्ष	उत्खनन ROM (टन)
2013–14	25,500
2014–15	25,500
2015–16	25,500
2016–17	25,500
2017–18	25,500

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उल्लंघन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल

गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
2. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।

4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

5. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 35	2%	Rs. 0.70	Following activities at Nearby Government Primary School **Village-Medesara**	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation	Rs. 0.05
			Total	**Rs. 0.70**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेडेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

7. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पडी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।
4. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू–जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
6. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
7. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं

समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नोट किया गया कि समय अभाव होने के कारण उक्त तिथि में प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी तिथि के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़कों का संधारण (Road Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।
5. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।
6. उक्त खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उपयुक्त पर्यावरण के सुरक्षात्मक उपायों को नहीं अपनाते हुये पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करते हुये उत्खनन किया गया है, जिसके फलस्वरूप मटेरियल

उत्खनन, हथालन, परिवहन से वायु प्रदूषण के साथ पर्यावरण पर विपरित प्रभाव की स्थिति निर्मित हुई तथा परिवहन से परिवेशीय वायु गुणवत्ता में वृद्धि का योगदान रहा। लीज क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका हेतु निर्धारित 7.5 मीटर के सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण नहीं करने के फलस्वरूप पर्यावरण पर विपरित प्रभाव पड़ा।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 7.5 मीटर सेफ्टी जोन में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

9. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्लान में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि उसके परीक्षण उपरांत समिति द्वारा अनुमोदन किया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत किया जाए।
2. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित प्रति पौधा की राशि बहुत अधिक है। इस हेतु वन विभाग में प्रचलित दरों को लिया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर में शामिल उल्लंघन के समस्त खदानों के लिए Environment Compensation के प्रस्ताव को सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) का उपयुक्त आकलन कर, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि के विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री संजय अग्रवाल (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 735B)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /28525/2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48408/ 2018, दिनांक 14/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 447 एवं 452, कुल लीज क्षेत्र 2.03 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता –9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा दिनांक 20/04/2001 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक /दुर्ग/चूप/खयो–316/नाग/ 2016/16 रायपुर, दिनांक 12/08/2016 जो वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 601/खनि.लि.2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 10 खदानें रकबा 62.58 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पथरिया 1.31 कि.मी. एवं शहर धमधा 6.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–पथरिया 1.37 कि.मी., अस्पताल ग्राम–पथरिया 1.46 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हॉउस लगभग 22.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.47 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 1.18 कि.मी. दूर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री संजय अग्रवाल के नाम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 05/01/1995 से 04/01/2015 तक की अवधि हेतु थी।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग, दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

8. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,32,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,60,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.45 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोडा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 16 मीटर प्रस्तावित है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमर ड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 40 वर्ष है। जल उपभोग की मात्रा 5 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट 2 किलोलीटर प्रति दिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 1 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्त्रोत भू–जले है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिडकाव एवं वृक्षारोपण किया जाता है। वर्तमान में 700 नग वृक्षारोपण किया गया है। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994	निरंक	2007–2008	1,089
1995–1996	60	2008–2009	4,721
1996–1997	2,990	2009–2010	6,631
1997–1998	4,006	2010–2011	9,264
1998–1999	3,012	2011–2012	4,797
1999–2000	4,810	2012–2013	2,340
2000–2001	7,600	2013–2014	9,548
2001–2002	4,970	2014–2015	3,863
2002–2003	2,660	2015–2016	360
2003–2004	930	2016–2017	3,215
2004–2005	350	2017–2018	40
2005–2006	370	2018–2019	निरंक
2006–2007	1,929		

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017–2018	9,000
2018–2019	9,000
कुल	**18,000**

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उल्लंघन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –** मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{\text{एक्स}}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013–14 में 9,548 टन, वर्ष 2014–15 में 3,863 टन, वर्ष 2015–16 में 360 टन, वर्ष 2016–17 में 3,215 टन एवं वर्ष 2017–18 में 40 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत जून 2017 से खदान बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को

निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs. 45	2%	Rs. 0.90	Following activities at Nearby Government Primary School **Village-Nandini-Khundini**	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.44
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.14
			Total	**Rs. 0.90**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेडेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बडी–बडी गाडिया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बडी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिडकाव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2013–14 में 9,740 टन, वर्ष 2014–15 में 9,800 टन, वर्ष 2015–16 में 3,800 टन, वर्ष 2016–17 में 3,215 टन एवं मई 2017 तक में 40 टन है। वर्तमान में वर्ष 2013–14 में 9,548 टन, वर्ष 2014–15 में 3,863 टन, वर्ष 2015–16 में 360 टन, वर्ष 2016–17 में 3,215 टन एवं वर्ष 2017–18 में 40 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिडकाव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू–जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए।

समिति द्वारा नोट किया गया कि समय अभाव होने के कारण उक्त तिथि में प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी तिथि के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. पूर्व में त्रुटिवश वर्ष 2014–15 में 9,800 टन का उल्लेख होना बताया गया। वास्तव में वर्ष 2013–14 में 9,740 टन, वर्ष 2014–15 में 3,863 टन, वर्ष 2015–16 में 360 टन, वर्ष 2016–17 में 3,215 टन एवं मई 2017 तक में 40 टन उत्खनन कार्य किया जाना बताया गया है।
3. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सडकों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सडकों का संधारण (Road Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।
7. उक्त खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उपयुक्त पर्यावरण के सुरक्षात्मक उपायों को नहीं अपनाते हुये पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करते हुये उत्खनन किया गया है, जिसके फलस्वरूप मटेरियल उत्खनन, हथालन, परिवहन से वायु प्रदूषण के साथ पर्यावरण पर विपरित प्रभाव की स्थिति निर्मित हुई तथा परिवहन से परिवेशीय वायु गुणवत्ता में वृद्धि का योगदान रहा। लीज क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका हेतु निर्धारित 7.5 मीटर के

सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण नहीं करने के फलस्वरूप पर्यावरण पर विपरित प्रभाव पड़ा।

8. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 7.5 मीटर सेफ्टी जोन में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

10. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्लान में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित कार्यो का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि उसके परीक्षण उपरांत समिति द्वारा अनुमोदन किया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत किया जाए।
2. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित प्रति पौधा की राशि बहुत अधिक है। इस हेतु वन विभाग में प्रचलित दरों को लिया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर में शामिल उल्लंघन के समस्त खदानों के लिए Environment Compensation के प्रस्ताव को सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) का उपयुक्त आकलन कर, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित निर्धारित कार्यो का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि के विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए. के. वर्मा), ग्राम-पथरिया, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 697)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /24919/2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया

था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48404/ 2018, दिनांक 14/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 751, 752, 753, 754, 755, 756 एवं 757, कुल लीज क्षेत्र 3.47 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत पथरिया (सह.) द्वारा दिनांक 07/02/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/ चूप/ खयो–665/ नाग/11/रायपुर, दिनांक 10/08/2016 (अवधि 2016–17 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. **उत्खनन योजना** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक खनि.लि.2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 30/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें रकबा 87.09 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 0.94 कि.मी., शहर धमधा 8.2 कि.मी, स्कूल ग्राम–नंदनी–खुंदनी लगभग 1.3 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम–नंदनी–खुंदनी लगभग 1.18 कि.मी. की दूरी में स्थित है। राज्यमार्ग 1.87 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.17 कि.मी. दूर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री ए.के. वर्मा के नाम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 02/10/2003 से 01/10/2023 तक की अवधि हेतु है।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग, दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।
8. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,56,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 4,07,050 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.59 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन ओपन कास्ट मैनुवल विधि से किया जाता है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 22 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की

अल्टिमेट ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 45 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमरड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती प्रतिदिन है। जल का स्त्रोत भू–जल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994–2006	निरंक	2012–2013	8,500
2006–2007	4,740	2013–2014	18,600
2007–2008	15,383	2014–2015	4,900
2008–2009	11,200	2015–2016	8,650
2009–2010	6,700	2016–2017	6,500
2010–2011	6,100	2017–2018	निरंक
2011–2012	8,800	2018–2019	निरंक

उत्खनन की प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
2017–18	9,000
2018–19	9,000
कुल	**18,000**

9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उल्लंघन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013–14 में 18,600 टन, उत्खनन किया गया है। तदुपरांत मार्च 2017 से खदान बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिडकाव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।
6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Pathariya	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.12
			Total	**Rs. 0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

   v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

   vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

   i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

   ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

   iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2013–14 में 16,400 टन है। वर्तमान में वर्ष 2013–14 में 18,600 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जाल छिडकाव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू–जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट अरेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वनों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नोट किया गया कि समय अभाव होने के कारण उक्त तिथि में प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी तिथि के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए. के. वर्मा), ग्राम–पथरिया, तहसील–घमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 698)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /25048/2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया

था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48449 / 2018, दिनांक 14 / 12 / 2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15 / 01 / 2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 751 एवं 752, कुल लीज क्षेत्र 2.16 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15 / 01 / 2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25 / 10 / 2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत पथरिया (सह.) द्वारा दिनांक 07 / 02 / 2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग / चूप / खयो–314 / नाग / 12–रायपुर, दिनांक 09 / 08 / 2016 (अवधि 2016–17 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 608 / खनि.लि.2 / खनिज / 2017 दुर्ग, दिनांक 30 / 05 / 2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 10 खदानें रकबा 66.22 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 0.9 कि.मी., शहर धमधा 8.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–नंदनी–खुंदनी लगभग 1.34 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम–नंदनी–खुंदनी लगभग 1.25 कि.मी. की दूरी में स्थित है। राज्यमार्ग 1.95 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.24 कि.मी. दूर है।
5. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री ए.के. वर्मा के नाम पर है, जो 20 वर्षो अर्थात् 02 / 04 / 1994 से 01 / 04 / 2014 तक की अवधि हेतु थी।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263 / खनिज / 2015 दुर्ग, दिनांक 05 / 10 / 2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।
8. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,92,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,76,200 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.42 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन ओपन कास्ट मैनुवल विधि से किया जाता है। वर्तमान में 8 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 18 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की

अल्टिमेट ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 42 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमरड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती प्रतिदिन है। जल का स्त्रोत भू-जल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994-1995	50	2007-2008	22,523
1995-1996	2,010	2008-2009	18,000
1996-1997	7,370	2009-2010	6,300
1997-1998	16,170	2010-2011	6,400
1998-1999	7,280	2011-2012	8,850
1999-2000	3,310	2012-2013	5,650
2000-2001	800	2013-2014	3,400
2001-2002	50	2014-2015	6,550
2002-2003	17,800	2015-2016	3,400
2003-2004	10,910	2016-2017	7,600
2004-2005	13,780	2017-2018	निरंक
2005-2006	14,040	2018-2019	निरंक
2006-2007	5,921		

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
2017-18	9,000
2018-19	9,000
कुल	**18,000**

9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उल्लंघन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति /

संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई

वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012-13 में 5,650 टन, वर्ष 2013-14 में 3,400 टन एवं वर्ष 2014-15 में 6,550 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत मार्च, 2017 से खदान बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट-V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट-VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस-पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।
6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School **Village-Pathariya**	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.12
			Total	**Rs. 0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

   v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण

नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2012–13 में 5,750 टन, वर्ष 2013–14 में 4,550 टन एवं वर्ष 2014–15 में 4,900 टन है। वर्तमान में वर्ष 2012–13 में 5,650 टन, वर्ष 2013–14 में 3,400 टन एवं वर्ष 2014–15 में 6,550 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिडकाव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू–जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18 / 05 / 2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29 / 05 / 2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27 / 06 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03 / 07 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीत वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नोट किया गया कि समय अभाव होने के कारण उक्त तिथि में प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी तिथि के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल दिनांक 08 / 07 / 2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10 / 07 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स सहगांव लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्रीमती रत्ना पाण्डे), ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 710)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /25439/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48477/ 2018, दिनांक 15/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 324/1, 324/2, 324/3 एवं 326/2, कुल लीज क्षेत्र 1.3 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत पथरिया द्वारा दिनांक 05/04/1995 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/चूप/खयो–679 /2016/रायपुर दिनांक 11/08/2016 (अवधि 2016–17 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 910/खनि.लि.2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 24/06/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 15 खदानें रकबा 75.20 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 0.37 कि.मी., शहर धमधा 5.9 कि.मी, स्कूल ग्राम–नंदनी–खुंदनी लगभग 0.37 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम–नंदनी–खुंदनी लगभग 0.39 कि.मी. एवं निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हॉउस लगभग 22.8 कि.मी. की दूरी में स्थित है। राज्यमार्ग 1.028 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 0.48 कि.मी. दूर है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्रीमती रत्ना पाण्डे के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 29/07/2002 से 28/07/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

8. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,60,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,51,250 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.42 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। भू–भाग के 9,000 वर्गमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 10 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,350 वर्गमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994–2004	निरंक	2011–2012	5,390
2004–2005	1,200	2012–2013	9,100
2005–2006	3,260	2013–2014	4,830
2006–2007	13,800	2014–2015	1,310
2007–2008	17,850	2015–2016	900
2008–2009	15,100	2016–2017	2640
2009–2010	1,900	2017–2018	250
2010–2011	5,155	2018–2019	निरंक

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2017–18	9,000
2018–19	9,000
कुल	**29,210**

10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उल्लंघन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 में 250 टन उत्खनन किया गया है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिडकाव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी

नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government School Village-Sahgaon	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.15
			Total	**Rs. 0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य अप्रैल, 2017 से बंद है। वर्तमान में वर्ष 2017–18 में 250 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का

पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू–जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नोट किया गया कि समय अभाव होने के कारण उक्त तिथि में प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी तिथि के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स शिव शक्ति मेटल्स (टाकरागुड़ा लाईम स्टोन माईन), ग्राम–टाकरागुड़ा, तहसील–लोहांडीगुड़ा, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 748)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी/ एमआईएन/25496/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48795/ 2018, दिनांक 26/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–टाकरागुड़ा, तहसील–लोहांडीगुड़ा, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 276/1(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 2.42 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 45,200 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 273वीं बैठक दिनांक 27/03/2019 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत टाकरागुड़ा द्वारा दिनांक 15/06/1999 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन इन एप्रुव्ड माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बस्तर/ चूप/ खयो–1157/ 2018/ रायपुर दिनांक 12/07/2018 जो वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2277/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2018 जगदलपुर, दिनांक 20/09/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल, जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 के अनुसार "आवेदित भूमि वन क्षेत्र कक्ष क्र. पी/1614 सिरिसगुड़ा से 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।" होना बताया गया है।

5. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – समीपस्थ आबादी ग्राम–टाकरागुड़ा 0.53 किलोमीटर एवं शहर जगदलपुर 20.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं प्रायमरी मेडिकल ग्राम–टाकरागुड़ा 0.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल्वे स्टेशन तोकापाल 14.8 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्यमार्ग 0.74 किलोमीटर है। इन्द्रावती नदी 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है।

6. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

7. **लीज का विवरण** – लीज डीड मेसर्स शिव शक्ति मेटल्स के नाम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 17/09/2002 से 16/09/2022 तक की अवधि हेतु है।

8. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – माईनेबल रिजर्व 4,06,448 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.4 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में उत्खनन की गहराई 8 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। ऊपरी की मिट्टी की गहराई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9.5 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 7.295 किलोलीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति वॉटर टैंकर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 500 नग वृक्षारोपण किया गया है। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	Actual उत्खनन (टन)
2013–14	–	–
2014–15	14,940	3,233
2015–16	14,985	14,328
2016–17	14,963	9,328
2017–18	14,985	–

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2018–19	45,000
2019–20	45,000
2020–21	45,000
2021–22	45,000
2022–23	45,200

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति ऊपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2019 से मई 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 27 से 39.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 66.4 से 94.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 10.8 से 14.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 15.3 से 18.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.1 डीबीए से 53.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.1 डीबीए से 35.8 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 16/06/2020 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रकरण में प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण समिति के समक्ष आज प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि दिये जाने का अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(द) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित

जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(मोसकर विलास संदिपान)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़